23/11/21

जयपुर

पत्रावली पेश हुई। [illegible]

पत्रावली [illegible] पेश हुई। [illegible]

07/11 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अर्शदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांकः– 25/11/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

राजस्व वाद सं0 104/2014

दडिया देवी बनाम कालूराम

पत्रावली वास्ते आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश हुई। दिनांक 04.10.2021 को प्रार्थी (प्रतिवादी सं0 10) ने आदेश 07 नियम 11 प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादिया ने माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद, तहसीलदार जयपुर के नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 23.06.2014 को नल एण्ड वोइड घोषित कराने बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वादिया ने वाद पत्र की मद सं0 5 के अभिवचनों में यह स्पष्ट वर्णित किया है कि "प्रतिवादी कालूराम ने दिनांक 23.06.2014 के तहसीलदार महोदय को खसरा नं0 1032/2 की नक्शे में तरमीम करवाने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और यह अंकित किया कि मिन वादिया के खसरा नं0 1032/1 तथा 1032/2 पर अलग–अलग कब्जा है और इस आधार पर नक्शे मे तरमीम की जाए। राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 से मिलीभगत करके बिना कोई मिन वादिनी को सूचना दिये एकपक्षीय रूप से दिनांक 23.06.2014 को ही बिना मौके पर गये नजरीय नक्शा फर्जी तरीके से तैयार करते हुये नक्शे में तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया।" राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय 7 के नक्शे में की तरमीम संबंधी न्यायिक कार्यवाही की जाती है। नक्शे में तरमीम संबंधी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (क) में वर्णितानुसार अपील कलक्टर को की जाती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विधि द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के तहत इस वाद को खारिज किया जाये।

जिसका जवाब अप्रार्थी वादी ने स्पष्ट किया कि उक्त वाद में चाहा गया अनुतोष राजस्व न्यायालय द्वारा ग्रहण करने योग्य ही है अतः यह प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 खारिज करने योग्य है।

दिनांक 28.10.2021 को उभयपक्षों की इस बाबत बहस सुनी गई जिसमें उभयपक्षों ने उक्त वर्णित तथ्य पुनः दोहराये। हमनें पत्रावली का व उभयपक्षों की बहस का गहन अध्ययन कर यह पाया कि इस वाद पत्र में वादी ने [illegible] ती धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत घोषणा की तहत [illegible] है व वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष तहसीलदार जयपुर के दिनांक 23.06.2014 के नक्शा तरमीम के आदेशें को नल एण्ड वोइड घोषित किये जाने बाबत है। यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि धारा 88

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (दक्षिण)

88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वादी विवादग्रस्त भूमि में अपने आप को खातेदार घोषित करने बाबत वाद निम्नलिखित चार स्थिति में पेश करने का अधिकारी है:—

1. अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, इस घोषणा के लिये वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्सें की घोषणा के लिये
2. खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिये कि वह ऐसा अभिधारी है
3. उप अभिकारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है के विरूद्ध इस घोषणा के लिये वह उप अभिधारी है
4. राज्य सरकार से भिन्न कोई भूधारक, किसी जोत के अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिकारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध

वादी द्वारा इस वाद में जो अनुतोष चाहा है वह किसी भी आशय से धारा 88 अधिकार घोषणा के श्रेणी में नहीं आता। नक्शें में तरमीम संबंधी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (क) में वर्णितानुसार अपील कलक्टर को की जाती है।

अतः यह वाद धारा 88 में पोषनीय न होने के कारण विधि द्वारा वर्जित श्रेणी में आता है व वादी द्वारा चाहा अनुतोष प्रदान करने के लिये यह सक्षम न्यायालय व न्यायिक प्रकिया नहीं है। अतः सेक्शन 151 में प्रदत्त शक्तियों के तहत यह वाद पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(उ.प्र.)
जयपुर शहर (प्रथम)

अरशदीप बरार
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (प्रथम) मुकाम जयपुर ब इजलास श्रीमती अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)

श्रीमती दडिया देवी　　बनाम　　कालूराम

श्रीमती दडिया देवी पत्नी परमानन्द जाति जाट निवासी बुडानिया तहसील चिडावा जिला झुंझनु जरिये मुख्त्यारखास श्री परमानन्द पुत्र श्री गुल्लाराम जाति जाट निवासी बुडानिया तहसील चिडावा जिला झुंझनु

......वादिया

बनाम

1. कालूराम पुत्र भूरा
2. रामनारायण
3. गोपाल
4. रामचन्द्र
5. लल्लूराम
6. रामेश्वर
   समस्त पुत्रान् भैरू
7. सोनी धर्मपत्नी स्व0 भैरू (मृतक दौराने वाद)
   समस्त निवासी ग्राम कालवाड जिला जयपुर
8. तहसीलदार तहसील जयपुर, जिला जयपुर
9. उप पंजीयक महोदय, जयपुर कलेक्ट्रेट, जयपुर
10. जुगलकिशोर पुत्र शांतिलाल शर्मा निवासी– ग्राम कालवाड तहसील व जिला जयपुर
11. मोहनलाल पुत्र बोदूराम जाट निवासी–117, महेशवास कला, कालियों की ढाणी, तहसील आमेर, जिल जयपुर।
12. सूर्यप्रकाश पुत्र अर्जुनलाल जाट निवासी 115, केरली की ढाणी, बीड हाथोज, तहसील व जिला जयपुर।
13. सुरेश पुत्र नन्दूराम जाट, निवासी 115, केरली की ढाणी, बीड हाथोज, तहसील व जिला जयपुर।
14. नाथूसिंह पुत्र नामालूम, जाति राजपूत, निवासी– ए 84, संजय नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

......प्रतिवादीगण

दावा वाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा 104/2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती अरशदीप बराड व हाजिरी वकील [illegible] दिया जाता है व मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह [illegible] जिला जयपुर में स्थित की दी जाती है कि ग्राम कालवाड, पटवार क्षेत्र कालवाड, [illegible] के कारण खसरा नं0 1032/1 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा में यह वाद धारा 88 [illegible] करने के लिये यह सक्षम [illegible] द्वारा वर्जित श्रेणी में आता है व वादी [illegible] [illegible]यों के तहत यह वाद पत्र न्यायालय व न्यायिक प्रकिया नहीं है। अत: सेक्शन 151 में प्रदत्त [illegible] खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

.... — .... गुवलिग .... बावत् ....

इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

...ख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

...आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/11/21..... को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....
अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
ओहदा ....
जयपुर शहर प्रथम

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
...अर्जी दावा	00	00	स्टाम्प अर्जी दावा	00	00
...वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
...वजह सबूत	00	00	महन्ताना वकील	00	00
...ना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
...गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
...कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
...इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
...रिक	00	00		00	00
मीजान	00	00	मीजान	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 14:51:08 IST
Reason: SelfAttested

...—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फीसद का चार्ज डिग्री ... तारीख दिखाया हो।

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम